अध्याय-I

अध्याय - I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य की सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सा.क्षे.उ. की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है।

1.2 झारखण्ड राज्य में, 31 मार्च 2014 को 17[1] सरकारी कम्पनियाँ कार्यरत थी। कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध नहीं थी। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी), सांविधिक निगम को वर्ष 2013-14 (जनवरी 2014) के दौरान चार कम्पनियों, नामत: होल्डिंग कम्पनी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) और सहायक कम्पनियाँ झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में पुन:संगठित कर दिया गया।

सितम्बर 2014 तक अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 3065.85 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। राज्य के सा.क्षे.उ. ने उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार कुल ₹ 2729.14 करोड़ का घाटा वहन किया। 31 मार्च 2014 को इन्होंने कुल 8160 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

1.3 राज्य के सा.क्षे.उ. में नौ विभागीय उपक्रम (वि.उ.), जो वाणिज्यिक क्रियाकलापों को कार्यान्वित करते हैं किंतु वे सरकारी विभागों के अंग हैं, तथा एक स्वायत्त संस्थान, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी), जिसका एकमात्र लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक है, शामिल नहीं है।

---

[1] (i) झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी) (ii) झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) (iii) झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको) (iv) झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) (v) ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (जीआरडीए) (vi) झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) (vii) झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) (viii) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) (ix) कर्णपूरा उर्जा लिमिटेड (केईएल) (x) झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेटीडीसी) (xi) झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) (xii) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफसीएससीएल) (xiii) झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमएफडीसी) (xiv) झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) (xv) झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) (xvi) झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और (xvii) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों का लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार अधिशासित होता है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसका प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

1.5 राज्य के सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है।

1.6 सांविधिक निगम (जेएसईबी) का, इसके चार ऊर्जा कम्पनियो में पुन: संगठन (जनवरी 2014) तक की अवधि का लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 के द्वारा अधिशासित होता था तथा सीएजी इसका एक मात्र लेखापरीक्षक था।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2014 को, 18 सा.क्षे.उ. (जेएसईबी सहित) में ₹ 6740.02 करोड़ का निवेश था जैसा कि **तालिका - 1.1** में वर्णित है।

तालिका - 1.1

(₹ करोड़ में)

सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
199.05	687.60	886.65	-	5853.37	5853.37	6740.02

(स्रोत: सा.क्षे.उ. द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

राज्य के सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के सारांशीकृत स्थिति का ब्यौरा ***परिशिष्ट-1.1*** में दिये गये हैं।

1.8 31 मार्च 2014**,** को सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 2.95 प्रतिशत पूँजी में और 97.05 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। सा.क्षे.उ. में निवेश ₹ 3910.70 करोड़ वर्ष 2008-09 से 72.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 में ₹ 6740.02 करोड़ हो गया, जैसा कि **रेखाचित्र - 1.1** में दिखाया गया है:

रेखाचित्र - 1.1

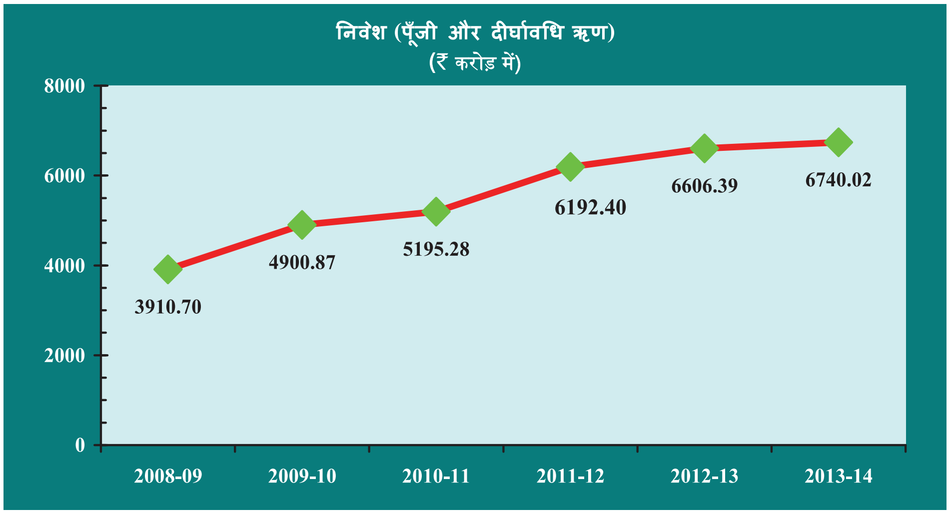

1.9 सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में था। पिछले छः वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने की प्रवृति को दर्शाता है । यह वर्ष 2008-09 में ₹ 3874.65 करोड़ से 71.65 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 6650.97 करोड़ हो गया जो मुख्यतः सरकार एवं अन्य निकायों के द्वारा जीएसईबी और टीवीएनएल को दिये गये ऋण के कारण हुआ।

अंश पूंजी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण से संबंधित बजटीय जावक

1.10 मार्च 2014 के अंत में राज्य के सा.क्षे.उ. के संबंध में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा ***परिशिष्ट-1.2*** में दिये गये हैं।

वर्ष 2013-14 को समाप्त हुये तीन वर्षों का अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का सारांशीकृत ब्यौरा **तालिका - 1.2** में दिया गया है:

तालिका - 1.2

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की सं.[2]	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से अंश पूँजी जावक	4	20.50	3	15.00	4	20.65
2.	बजट से दिये गये ऋण	2	408.91	2	561.70	1	175.34
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्ति	1	750.00	3	1187.67	2	972.80
4.	**कुल जावक**		**1179.41**		**1764.37**		**1168.79**

(स्रोतः सा.क्षे.उ. द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

[2] छह: सा.क्षे.उ. (जीआरडीए, जिडको, जेटीडीसी, झालको, जेयूवीएनएल और जेएसईबी) का कुल जावक।

1.11 पिछले छः वर्षों में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा **रेखाचित्र - 1.2** में दर्शाये गये हैं:

रेखाचित्र - 1.2

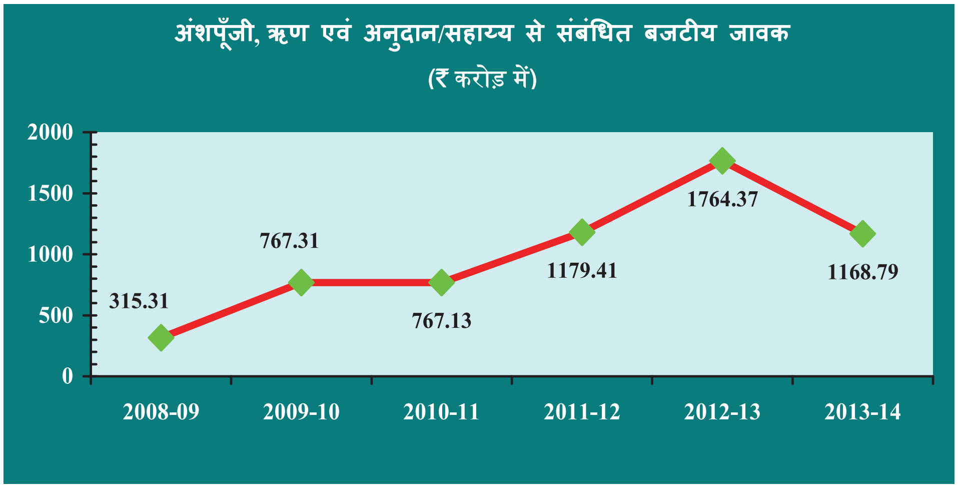

बजटीय जावक, वर्ष 2012-13 में ₹ 1764.37 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 1168.79 करोड़ हो गया जो मुख्यत: जीएसईबी को दिये गये ऋण (₹ 175.34 करोड़) तथा अनुदान (₹ 967.09 करोड़) में जावक कमी के कारण था।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.12 राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार बकाया अंशपूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति से संबंधित आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में अंकित आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग द्वारा अंतर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2014 तक की स्थिति **तालिका - 1.3** में दी गई है:

तालिका - 1.3

(₹ करोड़ में)

संबंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
अंशपूँजी	56.05	192.70	136.65
ऋण	7296.75	6329.30	967.45

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

1.13 हमने पाया कि नौ[3] सा.क्षे.उ. के आँकड़ों में अंतर था और इन अंतरों का समाधान 2001-02 से लम्बित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि के अंतर को पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था किंतु राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

[3] जेएसएमएफडीसी, जेएसएफसीएससीएल, जेयूवीएनएल, टीवीएनएल, जिडको, झारक्राफ्ट, झालको, जीआरडीए और जेएसईबी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.14 सा.क्षे.उ. के वित्तीय परिणामों और सांविधिक निगम के वित्तीय स्थिति तथा कार्यपरिणामों का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः ***परिशिष्ट-1.3, 1.4 एवं 1.5*** में दिये गये है।

1.15 2008-09 से 2013-14 के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. के द्वारा उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार वहन किये गये कुल हानि (शुद्ध) ₹ 122.03 करोड़ से बढ़कर 2729.14 करोड़ हो गयी है जैसा की **रेखाचित्र - 1.3** में दिया गया है:

रेखाचित्र - 1.3

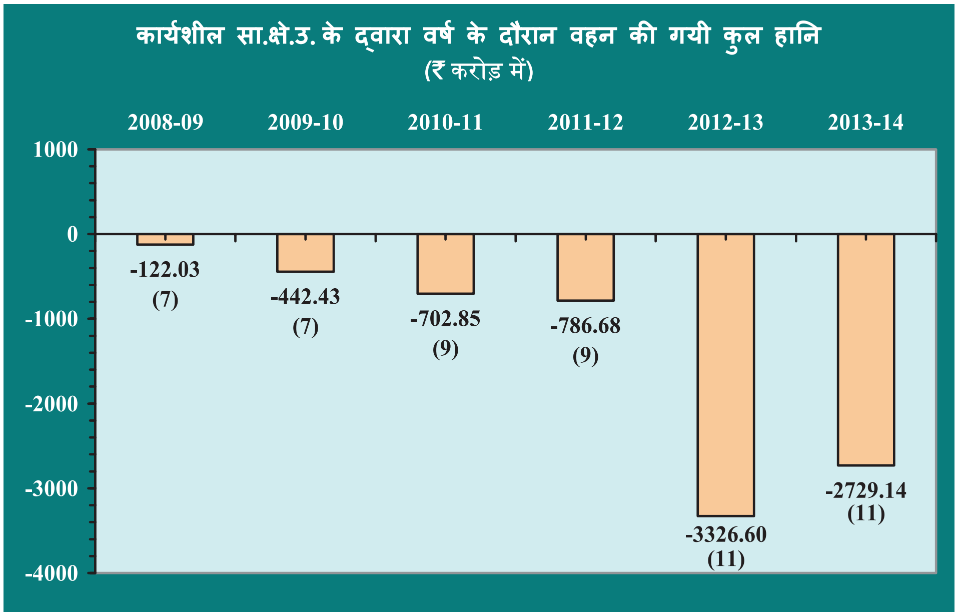

(कोष्ठक में आँकड़ें अद्यतन अंकेक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्ष में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार, 18 सा.क्षे.उ. (जेएसईबी सहित) में से, आठ[4] सा.क्षे.उ. ने ₹ 27.92 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जबकि तीन[5] सा.क्षे.उ. ने ₹ 2757.06 करोड़ की कुल हानि वहन की। बचे हुये सात सा.क्षे.उ. में से, तीन[6] सा.क्षे.उ. ने कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया और चार[7] सा.क्षे.उ. के प्रथम लेखा सितम्बर 2014 तक बकाया नहीं था। जीएसईबी के वर्ष 2012-13 एवं टीवीएनएल के वर्ष 2001-2002 के अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार क्रमशः ₹ 2667.56 करोड़ तथा ₹ 88.17 करोड़ की भारी हानि हुई।

1.16 सीएजी के तीन साल के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 904.77 करोड़ की नियंत्रणीय हानियाँ वहन की एवं ₹ 40.80 करोड़ का निरर्थक निवेश किया जो अच्छे प्रबंधन के द्वारा नियंत्रणीय थी जैसा कि **तालिका - 1.4** में दिया गया है।

[4] जेएसएफडीसी, जेपीएचसीएल, झारक्राफ्ट, जेएसएमडीसी, जिडको, जीआरडीए, जेएसबीसीएल और जेटीडीसी।

[5] झालको, टीवीएनएल, और जेएसईबी।

[6] जेएसएमएफडीसी, केईएल और जेएसएफसीएससीएल।

[7] जेयूवीएनएल, जेयूयूएनएल, जेयूएसएनएल और जेबीवीएनएल।

तालिका - 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
शुद्ध हानि	786.68	3326.60	2729.14	6842.42
सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रणीय हानियाँ	487.27	119.19	298.31	904.77
निरर्थक निवेश	10.61	11.03	19.16	40.80

1.17 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं किया था जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रदत्त पूँजी पर न्यूनतम लाभ देने की आवश्यकता है। अपने अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार, आठ[8] सा.क्षे.उ. ने ₹ 27.92 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

1.18 लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का समापन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर करना होता है। उसी तरह, सांविधिक निगम (जेएसईबी) के मामले में, लेखों का समापन, लेखापरीक्षा तथा विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होता है। **तालिका - 1.5** में कार्यरत सा.क्षे.उ. के विवरण तथा उनके लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति (सितम्बर 2014) को दर्शाता है:

तालिका - 1.5

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	11	12	13	14	18[9]
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	14	12	8	20	14
3.	बकाया लेखों की संख्या	46	46	52	45	45[10]
4.	औसत बकाया प्रति सा.क्षे.उ.	4.18	3.83	4.00	3.21	2.50
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखों का अंतिमीकरण होना बाकी था	11	12	13	14	14
6.	बकाये की अवधि (वर्ष)	1 to 16	1 to 17	1 to 16	1 to 13	1 to 9

1.19 2009-10 में ग्यारह सा.क्षे.उ. के संदर्भ में बकाये लेखों की संख्या वर्षों के दौरान 46 से घटकर 2013-14 में 14 सा.क्षे.उ. के संदर्भ में 45 हो गयी थी।

[8] जेएसएफडीसी, जेपीएचसीएल, झारक्राफ्ट, जेएसएमडीसी, जिडको, जीआरडीए, जेएसबीसीएल और जेटीडीसी।

[9] इसमें जेएसईबी और जनवरी 2014 में जेएसईबी के पुन: संगठन से गठित चार उर्जा कम्पनियाँ यथा जेयूवीएनएल, जेयूयूएनएल, जेयूएसएनएल एवं जेबीवीएनएल सम्मिलित हैं।

[10] जेएसईबी का एक लेखा (1 अप्रैल 2013 से 5 जनवरी 2014 तक की अवधि के लिये) सम्मिलित है लेकिन जेयूवीएनएल, जेयूयूएनएल, जेयूएसएनएल एवं जेबीवीएनएल जिनका लेखापरीक्षा बकाया नहीं था, शामिल नहीं है।

1.20 राज्य सरकार ने एक सांविधिक निगम सहित सात सा.क्षे.उ. में, ₹ 1654.27 करोड़ (अंश पूँजी; ₹ 19.75 करोड़, ऋण; ₹ 183.34 करोड़, अनुदान; ₹ 1451.18 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया जिनमें लेखें अंतिमीकृत नहीं हुये हैं जिसका विवरण ***परिशिष्ट-1.6*** में दिया गया है। लेखों और उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गए निवेश और व्यय का लेखा जोखा उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था उसकी प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश, राज्य के विधायिका के संवीक्षा से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब के परिणाम स्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ धोखाघड़ी एवं सार्वजनिक कोष के बर्बादी की जोखिम भी हो सकती है।

1.21 प्रशासनिक विभागों को इन इकाईयों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है और यह सुनिश्चित करना है कि इन सा.क्षे.उ. ने अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण नियत अवधि में कर लिया है। यद्यपि, सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों का ध्यान लेखों के अंतिमीकरण में बकाया के तरफ आकृष्ट किया गया, पर कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के निवल परिसंपत्तियों का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। प्रधान महालेखाकार (पीएजी) द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग का ध्यान इन लेखों के अंतिमीकरण में बकाया के तरफ आकृष्ट किया गया था (अगस्त 2014) एवं बकाये लेखों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निष्पादन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था।

1.22 उपर्युक्त बकाये की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को इसका अनुश्रवण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को पालन करते हुए लेखों का अंतिमीकरण समय पर सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.23 वर्ष 2013-14 के दौरान सात कंपनियों ने अपने तेरह लेखाओं (बकाये लेखों सहित) को प्रधान महालेखाकार को 30 सितम्बर 2014 तक अग्रसारित किया। इसमें से, तीन कंपनियों[11] के नौ लेखाओं का पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक लेखा पर दोष-रहित प्रमाण पत्र एवं बारह लेखों पर दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिये। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी के पुरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इगिंत करते है कि लेखाओं के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहत रूप से सुधार की जरूरत है। सीएजी के टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विस्तृत विवरण **तालिका - 1.6** में दिये गये हैं।

[11] जेएसएफडीसी-1, जिडको-2, टीवीएनएल-6

तालिका - 1.6

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	1	0.23	1	0.01	-	-
2	लाभ में कमी	3	3.52	3	5.29	3	0.63
3	हानि में वृद्धि	-	-	1	0.08	2	33.72
4	हानि में कमी	-	-	1	0.36	-	-
5	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	-	-	3	-	-	-

1.24 कंपनियों के लेखों से संबंधित सीएजी की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी है:

झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

वर्ष 2011-12 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 27.16 लाख अधिक आकलित किया गया:

- आयकर देयता में ₹ 4.40 लाख का कम प्रावधान एवं कम भूगतान की गई अग्रिम आयकर राशि पर देय ब्याज ₹ 15.85 लाख का प्रावधान न करना।
- परामर्शी शुल्क ₹ 6.91 लाख का लेखांकन जो वर्ष 2010-11 में ही प्राप्त हो गया था एवं लेखांकित भी किया जा चुका था।

वर्ष 2012-13 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 8.90 लाख अधिक आकलित किया गया:

- कम भुगतान की गई अग्रिम आयकर राशि पर देय ब्याज ₹ 8.90 लाख का प्रावधान न करना।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

वर्ष 2000-01 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 11.61 करोड़ कम आकलित किया गया:

- राज्य सरकार के ऋण पर दंडात्मक ब्याज ₹ 10.38 करोड़ का प्रावधान न करना।
- कोयले की परिवहन पर अदत्त खर्च ₹ 1.23 करोड़ का प्रावधान न करना।

वर्ष 2001-02 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 22.11 करोड़ कम आकलित किया गया:

- राज्य सरकार के ऋण पर दंडात्मक ब्याज ₹ 11.90 करोड़ का प्रावधान न करना।
- कोयले की परिवहन पर अदत्त खर्च ₹ 0.89 करोड़ का प्रावधान न करना।
- सीसीएल से संदिग्ध प्राप्य ₹ 7.63 करोड़ का प्रावधान न करना।

• पाँचवें वेतन आयोग द्वारा वेतन संशोधन के कारण बकाया ₹ 1.69 करोड़ का प्रावधान न करना।

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
वर्ष 2012-13 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 26.93 लाख अधिक आकलित किया गया:

• ₹ 0.95 लाख का मूल्य ह्रास में कम प्रावधान एवं स्थायी संपत्ति का अधिक आकलन।

• सेवाकर देय ₹ 19.76 लाख जो कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता से एकत्र नहीं किया गया था, का प्रावधान न करना।

• अग्रिम आयकर के भुगतान में चुक के कारण देय ब्याज ₹ 6.22 लाख का प्रावधान न करना।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के वार्षिक लेखे पर टिप्पणियों

1.25 जेएसईबी का वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखे, 2013-14 में प्राप्त हुआ जिसपर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत (अगस्त 2014) किया गया था। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि खातेां के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहत सुधार की जरूरत है। जेएसईबी के अंतिम तीन वर्षो के लेखों पर सीएजी की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य का विस्तृत विवरण **तालिका -1.7** में दिए गये हैं।

तालिका - 1.7

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	हानि में कमी	3	56.98	1	5.58	1	1.02
2	हानि में वृद्धि	6	2140.29	1	31.80	1	572.68
	कुल	6		1		1	

1.26 जेएसईबी के लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे विवेचित हैं:
वर्ष 2012-13 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष के घाटा ₹ 572.68 कम आकलित किया गया:

• सरकारी उपभोक्ताओं (टीवीएनएल बाँध और खान क्षेत्र विकास प्राधिकरण) पर बकाया उर्जा बिल ₹ 494.82 करोड़ का प्रावधान न करना।

• सेंटल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा आपूर्ति किये गये कोयले की कमी के लिए ₹ 19 करोड़ का गैर-स्वीकार्य दावे का समावेश।

• सीआईएसएफ पर विविध व्यय के लिए दायित्व ₹ 91.71 लाख का प्रावधान न करना।

• सीसीएल एवं जेएसईबी के बीच 2011-12 तक कोयले की बिक्री खाते के संयुक्त सामंजस्य के अनुसार सीसीएल से कोयले की खरीद में देयता ₹ 5.66 करोड़ का कम प्रावधान।

- प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय ₹ 8.16 करोड़ का प्रावधान न करना।
- नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन से 2012-13 तक बिजली खरीद पर देयता ₹ 42.11 करोड़ का प्रावधान न करना।
- कार्यालय एवं आवासीय क्वार्टर में बिजली की खपत के लिए ₹ 36.74 लाख के विद्युत परिव्यय का लेखांकन न करना।
- कंप्यूटरीकृत विपत्रीकरण परिव्यय ₹ 1.65 करोड़ का प्रावधान न करना।

निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 1.02 करोड़ अधिक आकलित किया गया:

- वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये टैरिफ याचिका दाखिला शुल्क ₹ 40.80 लाख का लेखांकन।
- बैंक से ब्याज आय ₹ 60.22 लाख का मान्यता न देना ।

आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियाँ

1.27 सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को सीएजी के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ए) के अंतर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अंतर्गत उनके द्वारा लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना होता है जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। वर्ष 2013-14 के दौरान सात[12] कम्पनियों के अंतिमीकृत लेखों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा किये गये मुख्य टिप्पणियों का सारांश सोदाहरण **तालिका - 1.8** में दिये गये है:

तालिका - 1.8

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ अनुशंसाये की गई थी	परिशिष्ट-1.3 के अनुसार कम्पनियों का क्रम संख्या का संदर्भ
1.	भंडार एवं पूर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का तय न होना	2	क-06, क-08
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	3	क-03, क-05, क-15
3.	अचल परिसम्पत्तियों की पंजिका, जो पूर्ण विवरण जैसे मात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति दर्शाती हैं, का संधारण नहीं होना	4	क-01, क-04, क-05, क-08

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.28 2013-14 में लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 115.06 लाख की वसूली हेतु जीएसईबी प्रबंधन को इंगित किये गये थे जिनमें से ₹ 114.68 लाख के मामले जीएसईबी द्वारा

[12] जेएसएफडीसी, जिडको, जेपीएचसीएल, जीआरडीए, झारक्राफ्ट, टीवीएनएल और जेएसवीसीएल

स्वीकार किये गये। सितम्बर 2014 तक जीएसईबी द्वारा ₹ 54.15 लाख रुपये की वसूली की गयी थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उपस्थापन की स्थिति

1.29 तालिका - 1.9 जीएसईबी के लेखों पर सीएजी द्वारा जारी किये गये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को सरकार द्वारा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दिखलाती है।

तालिका - 1.9

क्र. सं.	सांविधिक निगम	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की गयी	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका के समक्ष उपस्थापित नहीं की गयी		
			पृ.ले.प्र. का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विलम्ब का कारण
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	--	2001-02	20.08.2010	पृ.ले.प्र. को उपस्थापित नहीं करने का कारण सरकार ने नहीं बताया।
			2002-03	07.02.2011	
			2003-04	07.03.2011	
			2004-05	07.06.2011	
			2005-06	09.11.2011	
			2006-07	15.12.2011	
			2007-08	31.01.2012	
			2008-09	30.03.2012	
			2009-10	30.03.2012	
			2010-11	26.04.2012	
			2011-12	22.05.2013	
			2012-13	26.08.2014	

पृ.ले.प्र. को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायिकी नियंत्रण कमजोर होता है एवं बाद में वित्तीय जवाबदेही कम पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव तथा विद्युत एवं वित्त विभाग के सचिवों के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2014)। परंतु अभी तक उत्तर अप्राप्त है।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.30 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत अप्रैल 2003 में विद्युत टैरिफ का युक्तिसंगत बनाने, राज्य में विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण के संबंध में सुझाव देने और लाईसेंस निर्गत करने के उद्देश्य से किया गया है। 2013-14 के दौरान, जेएसईआरसी ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर एक भी आदेश जारी नहीं किया यद्यपि पाँच अन्य आदेश जारी किये गये। साथ ही, राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 131 और 133 के आलोक में झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार स्थानांतरण योजना 2013 के तहत अधिसुचना संख्या 18 दिनाक 6 जनवरी

2014 के द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को चार नई कम्पनियों में विघटित किया।

1.31 चिन्हित लक्ष्यों के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यावयन के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के मध्य एक संयुक्त वचनबद्धता के रुप में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर अप्रैल 2001 को किया गया। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक हुई उपलब्धि की प्रगति को **तालिका - 1.10** में बतलाया गया है।

तालिका - 1.10

क्र.सं.	लक्ष्य		उपलब्धि
1.	बिक्री हेतु उपलब्ध विद्युत में से तंत्र हानि को कम कर 18 प्रतिशत तक लाना		36.23 प्रतिशत
2.	सभी उपभोक्ताओं का100 प्रतिशत मीटरीकरण	एकल चरण (शहरी)	100.00 प्रतिशत
		एकल चरण (ग्रामीण)	79.02 प्रतिशत
		निम्न विभव (एलटी)	99.86 प्रतिशत
		उच्च विभव (एचटी)	100.00 प्रतिशत

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 में जेएसईबी द्वारा उठायी गयी संचरण एवं वितरण हानि 36.23 प्रतिशत थी जो 18 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत अधिक था। आगे, एमओयू के अनुसार एकल चरण (ग्रामीण) के मामले में 100 प्रतिशत मीटरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था।